इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 मई 2023—वैशाख 13, शक 1945

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2023

क्रमांक- 1637 /36/2022/12/2-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय, चतुर्थ श्रेणी, सेवा भर्ती नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 3 में विद्यमान पैरा को उप-नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(2) भर्ती किये जाने वाले पदों में से 20% संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे ।"।

2. नियम 4 में:-

(1) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994), मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में अंतर्विष्ट उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित होगें।"।

2 उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम जोडे जाएं, अर्थात :-

"(4) सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिव्यांगजन से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित होंगें।"।

(5) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा जारी आदेशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) हेतु स्थापना में 10% पद क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगे।

टीप :- "स्थापन" से अभिप्रेत होगा वही उपबंध जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 2(ख) में अंतर्विष्ट हैं।"।

3. नियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"4 क. परिवीक्षा-

(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप-नियम (1) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति संबंधित पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% वृत्तिका के रूप में वेतन प्राप्त करेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात वह वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

परन्तु उपर्युक्त व्यवस्था ऐसी सभी सेवाओं के लिए स्वीकार्य होंगी, जिसके लिए लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के लिए परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।"।

4. विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

अनुसूची
(नियम-2 देखिये)

अनु. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स (लेवल)	भर्ती का तरीका क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		सीधी भरती द्वारा		परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	क्या सीधी भरती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	अभ्युक्तियां	
					सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता			पदोन्नति स्थानांतरण द्वारा भर्ती उस संवर्ग का विवरण दें जिससे पदोन्नति या स्थानांतरण किया जाना है।	विभागीय चयन या पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	हवलदार	15	चतुर्थ-श्रेणी	16100-50900 (2)	-	100%	18 से 40 वर्ष	5 वीं उत्तीर्ण	3 वर्ष	-		प्रधान कार्यालय- - अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी (स्थापना)- - सदस्य लेखा अधिकारी - सदस्य प्रशासनिक सहायक - सदस्य
2	सिपाही	60	चतुर्थ-श्रेणी	15500-49000 (1)	100%	-	18 से 40 वर्ष	5 वीं उत्तीर्ण	3 वर्ष	-	-	तदैव
3	भृत्य	33	चतुर्थ-श्रेणी	15500-49000 (1)	100%	-	18 से 40 वर्ष	5वीं उत्तीर्ण	3 वर्ष	-	-	तदैव
4	क्षेत्रीय सहायक	24	चतुर्थ-श्रेणी	15500-49000 (1)	100%	-	18 से 40 वर्ष	5वीं उत्तीर्ण	3 वर्ष	-	-	तदैव
5	चौकीदार	4	चतुर्थ-श्रेणी	15500-49000 (1)	100%	-	18 से 40 वर्ष	5वीं उत्तीर्ण	3 वर्ष	-	-	तदैव
6	भृत्य-सह-प्रोसेस सर्वर	32	चतुर्थ-श्रेणी	15500-49000 (1)	100%	-	18 से 40 वर्ष	5वीं उत्तीर्ण	3 वर्ष	-	-	तदैव

टिप्पण :-(1) इन नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था /नगर सैनिक/नि:शक्तजन / दिव्यांगजन / महिला (अनारक्षित/आरक्षित) के लिए 05 वर्ष की छूट होगी।

(2) आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, अर्थात चैनमेन, क्लीनर, चौकीदार, स्वीपर को भृत्य-सह-प्रोसेस सर्वर, क्षेत्रीय सहायक तथा चौकीदार के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा।

(3) हवलदार के पद पर पदोन्नति हेतु, सिपाही के पद पर, पात्रता की अवधिका 5वर्ष अनुभव होना अनिवार्य है।

No. 1637 /36/2022/12/2 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh , Directorate of Geology and Mining, Class IV services, Recruitment Rules, 1998 namely :-

AMENEMENTS

In the Said rules,

1. In rules 3, the existing para shall be numbered as sub -rule (1) and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :-

   "(2) 20% of the posts to be recruited shall be reserved for the contractual employees.".

2. In rule-4,-

   (1) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

   "(1) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994), Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) rule, 1998 and as per the orders issued by the State Government from time to time.".

(2) after sub-rule (3), the following sub-rules shall be added, namely :-

"(4) There shall be reserved post for the candidates belonging to Disable Persons in accordance with the notification issued by the Social Justice Department.

(5) In vacancies available for direct recruitment, 10 % posts shall be horizontal reserved in establish for economically weaker sections (E.W.S.) category In accordance with the orders issued by the General Administration Department's Circular dated 2nd July, 2019 and per the orders issued by the State Government from time to time.

Note- "Establish" shall mean the same provisions contained in clause - 2(b) of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).".

3. After rule 4, the following rule shall be inserted, namely :-

" **4 A. Probation. -**

(1) Every Person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of three years as per sub-rule (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Civil services (General Conditions) Rules 1961.

(2) During the Probation period, every person will receive salary as a stipend, 70 % in the first year, 80 % in the second year and 90 % in the third year of minimum of the pay scale, of concerning post. After successful completion of probation period, he/She will receive salary in the pay scale:

Provided that the above arrangement shall be acceptable for all such services for which examination for selection by public service commission has not been conducted.".

4. For the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

(See rule-2)

S. No.	Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Matrix (Level)	Method of recruit-ment whether by the direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various method		By direct recruitment		Period of Probation if any	Whether educational qualification required for direct recruitment will be applicable in case of promotion	Remarks	
					By direct recruitment	By Promotion	Age limit	Educational Qualification			Recruitment by promotion/ transfer, state the cadre from which promotion or transfer to be done	Departmental selection or promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Hawaldar	15	Class-IV	16100-50900 (2)	-	100%	18 to 40 years	5th Pass	3 Years	-	-	Head Office- Chairman. Officer-in-Charge (Establishment) Member, Account officer Member Administrative assistant- Member
2	Sepoy	60	Class-IV	15500-49000 (1)	100%	-	18 to 40 years	5th Pass	3 years	-	-	--do--
3	Peon	33	Class-IV	15500-49000 (1)	100%	-	18 to 40 years	5th Pass	3 years	-	-	--do--
4	Field Assistant	24	Class-IV	15500-49000 (1)	100%	-	18 to 40 years	5th Pass	3 years	-	-	--do--
5	Chowkidar	4	Class-IV	15500-49000 (1)	100%	-	18 to 40 years	5th Pass	3 years	-	-	--do--
6	Peon-cum-process Surver.	32	Class-IV	15500-49000 (1)	100%	-	18 to 40 years	5th Pass	3 years	-	-	--do--

Note - (1) In these rules there shall be relaxation of 05 years, for the Scheduled castes, Scheduled Tribes, other Backword Classes, Government/ Corporation/ Mandal/ Autonomous institution/Home gurd/ Disabled Persons/ Women (Reserved/Unreserved)

(2) Contingency paid employees i.e. Chainman, Cleaner, Chowkidar, Siwper, can be considered for regular appointment on the post of Peon-cum-Process Server, Field Assistant and Chowkidar.

(3) For the Promotion on the post of Hawaldar 5 years experience is essential on the post of Sepoy.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव रंजन मीना, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.